न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हंसमुख कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 70/2018

प्राथीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1–श्री उकाराम पुत्र दीपाजी		1– श्री शम्भूसिंह पुत्र खेतसिंह जी
2–श्री धर्माराम पुत्र दीपाजी		2– श्री कल्याणसिंह पुत्र खेतसिंहजी
3–श्री गणेशराम पुत्र दीपाजी		सभी जाति राजपूत नि.नून
4– श्री उनाराम पुत्र सांकलाजी		3– श्री शान्तिलाल पुत्र मोतीजी
5– श्री तलसाराम पुत्र सांकलाजी		4– श्री प्रभूराम पुत्र मोतीजी
सभी जाति माली आयु व्यस्क		5– श्री हकमाराम पुत्र मोतीजी
निवासी नून तहसील व जिला सिरोही		6– श्री देवाराम पुत्र मोतीजी
		7– श्री चतराराम पुत्र हेमाजी
		8– श्री छोगा पुत्र हेमाजी
		सभी आयु व्यस्क जाति माली
		निवासीयान नून तह.व जि.सिरोही
		9– स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– प्राथीगण की ओर से विद्वान वकील श्री राजेन्द्रपुरी
2– अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री दिनेशकुमार सुराणा

राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.काश्त.अधि. 1955 के वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 31.12.019

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 तक वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 9–7–2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि मौजा ग्राम नून पटवार हल्का फुंगणी तहसील सिरोही मे निम्न वर्णित कृषि आराजी आई हुई है जिसकी विगत निम्न प्रकार है :–

क्रं.सं.	खाता संख्या नया	पुराना ख.नं.	नया खसरा नंबर	रकबा
1–	60	1001	1185	0.7600 हैक्टेयर(4.14 बीघ)
2–	288	782	933	4.2900 हैक्टेयर (4.10 बीधा)

उपरोक्त कृषि आराजी प्रार्थीगण के खातदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी है एवं उक्त कृषि आराजी पर प्रार्थीगण पिछले 70–80 वर्षो से अपने पिता के जरिये काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहे है एवं मौके पर काबिज है। जिसका ज्ञान स्वंय अप्रार्थीगण को है एवं मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा उक्त कृषि आराजी पर बरसाती फसल व पडौसी खातेदार से पानी लेकर गेहुँ ,राईडे की भी खेती करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता दीपाजी पुत्र भलाजी व सांकला पुत्र भलाजी दोनो भाईयों ने उक्त पद संख्या 1 में वर्णित आराजी जिसके पुराने खसरा संख्या 1001 व 782 की कृषि आराजी दिनांक 23–12–1983 को बिना प्रतिफल राशि प्राप्त किये अप्रार्थीगण के पिता खेतसिंह व मोतीजी तथा हेमाजी निवासी नून के नाम से रजिस्र्टड विक्रय विलेख अमानत के तौर पर करवाया था और उक्त विक्रय विलेख के समय से एक ईकरारनामा दिनांक 23–12–1983 को अप्रार्थीगण के पिता खेतसिंह व प्रार्थीगण के पिता के मध्य लिखा गया कि उक्त कृषि आराजी बाबत मेरे

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

हक मे विक्रय विलेख तहरीर करवाकर पंजीयन करवाया है एवं उक्त भूमि की कोई किमत अदा नही की एवं उक्त भूमि अमानत के तोर पर एवं उक्त ईकरारनामे मे तय किया था कि परका वल्द तेजा सरगरा निवासी नून ने दीपा सांकला पुत्र भलाजी निवासी नून व छोगा पुत्र सांकला सुआर निवासी नून के विरूद्व अरठनामे हडमतिया व उसकी आराजी के 1/4 हिस्से का बंटवाड का दावा किया है। यदि उक्त आराजी परका के नाम का 1/4 हिस्सा दीपा, सांकला पुत्र भलाजी के नाम हो जाने पर उक्त कृषि आराजी जो विक्रय विलेख पंजीयन खेतसिंह के नाम का करवाया है वह आराजी परका पुत्र तेजाजी सरगरा निवासी नून के नाम अपने खर्चे से करवा दुँगा और यदि कारणवश परका की वादग्रस्त आराजी अरठ हडमतिया से अपनी आराजी प्रार्थीगण के पिता के नाम नही हो सकी तो मै पुनः प्रार्थीगण के पिता के नाम से बिना कोई कोई प्रतिफल लिये उनके खर्चे से विक्रय विलेख पंजीयन करवाने का पाबन्द रहूँगा एवं जो विक्रय विलेख प्रार्थीगण के पिता द्वारा खेतसिंह के नाम करवाया है उसमे मुझे किसी प्रकार के कोई अधिकार पैदा नही होंगे एवं उक्त ईकरारनामे के अनुसार यह स्थिति स्पष्ट है कि केवल मात्र शर्त के अधीन विक्रय विलेख करवाया है जबकि भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द नही किया है एवं न ही प्रतिफल राशि प्राप्त की बल्कि आज दिनांक तक प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीगण काश्त करते आ रहे है जो कि काफी वृद्व हो चुके है। ईकरारनामा दिनांक 23–12–1983 की पालना मे रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खसरा संख्या 782 जिसके नये खसरा नंबर 933 की कृषि आराजी के रजिर्स्टड विक्रय विलेख मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता खेतसिंह का 1/26 वां एवं अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 के पिता मोतीजी व हेमाजी के 19/26 वें हक हिस्से की कृषि आराजी व खसरा नंबर 1001 व नया खसरा नंबर 1185 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा की सम्पूर्ण आराजी का विक्रय विलेख खेतसिंह के नाम पंजीयन करवाया है। अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 के पिता का खसरा नंबर 782 मे खेतसिंह के साथ इस कारण से रजिर्स्टड विक्रय विलेख पंजीयन करवाया कि भविष्य मे खेतसिंह विक्रय विलेख पंजीयन करवाने में किसी प्रकार की आनाकानी नही करें एवं उसकी पालना सुनिश्चित की जा सकें। ईकरारनामा की शर्त अनुसार परका के नाम की दर्ज आराजी प्रार्थीगण के पिता के नाम की नही होने से अप्रार्थीगण के पिता खेतसिंह व मोती व हेमाजी को कई बार निवेदन करते रहे लेकिन हमेशा आश्वासन देते रहे कि आप उक्त कृषि भूमि पर काबिज है मेरा कोई लेना देना नही है। मै आपके नाम हस्तान्तरण करवा दुंगा जिस पर प्रार्थीगण के पिता ने गांव के ठाकुर होने से व अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 के पिता रिश्तेदार होने से विश्वास किया कि कृषि भूमि मेरे नाम करवा देंगे इस बार बार आश्वासन देते रहे और उसके बाद दीपाजी ,सांकलाजी की मृत्यु हो गई प्रार्थीगण उनके पुत्र है जिन्होने भी अप्राथीर्गण को निवेदन किया कि पुनः उनके नाम हस्तान्तरण राजस्व रेकर्ड मे करवा देवे लेकिन अप्रार्थीगण बार बार आश्वासन देते रहे एवं अप्रार्थी के पिता खेतसिंह ,मोती व हेमाजी की मृत्यु हो गई तथा उनकी मृत्य पश्चात उनके पुत्रगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर यह जानते हुये कि उक्त आराजी उनकी नही है एवं न ही उक्त आराजी का कभी कब्जा सुपुर्द किया है फिर भी अपने नाम से राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज करवा दिया जबकि कानूनन उक्त कृषि आराजी पर प्रार्थीगण आज दिन तक पिछले 70–80 वर्षों से अपने पिता के जरिये शान्तिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के अप्रार्थीगण की जानकारी मे मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टयॉ केस है कि प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है उक्त ईकरारनामे की शर्त अनुसार स्पष्टतया साबित है एवं मात्र ईकरारनामे मे लिखा लिखत के अनुसार जो पालना होनी थी जो नही होने से एवं न ही उक्त भूमि का कभी भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द किया है एवं न ही बेचान पेटे किसी प्रकार की राशि प्राप्त की है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की नियत मे खोट आ जाने से एवं उनका नाम इन्द्राज होने के कारण उक्त कृषि भूमि का बेचान करने पर आमादा है इस कारण ताफैसला वाद प्रार्थीगण के पक्ष मे व अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार दखलंदाजी नही करें करें एवं न ही उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान,हस्तान्तरण करें तथा न ही बैंक मे रहन रखें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात सूची अनुसार ग्राम नून पटवार हल्का फुंगणी तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता नंबर 288 खसरा नंबर 933 रकबा 4.2900 हैक्टेयर जमरबंड़ी ंपत 2071 से 2074 खाता नंबर 60 खसरा नंबर 1185 रकबा 0.7600 हैक्टेयर जमाबंदी खतौनी संवत 2051 से 2054 ईकरारनामा ,बेचान लिखत दिनांक 23–12–1983 व बेचान लिखत 23–12–83 दो अलग कमशः खरीददार खेतसिंह तथा मोती व खेतसिंह के पक्ष के की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित

सहायक कलेक्टर

तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ सहमत होने से उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 9–7–2018 को न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 तक को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर उक्त नोटिस बाद तामिल इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 11–9–2018 को अप्रार्थी संख्या 1 से 9 तक के नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये तथा दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 3 से 8 तक को नोटिस तामिली होने के बावजूद न्यायालय मे सुनवाई के दौरान हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से 8 तक को हाजिर होने हेतु बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद भी न्यायालय समय तक स्वंय या इनके वकील /प्रतितिनिधि कोई भी हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से 8 तक के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये तथा वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जवाब पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा न्यायहित मे समय दिया गया। विचारण प्रकरण मे सुनवाई पेशी दिनांक 10–4–2019 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया । उक्त जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध कराई गई ।

अप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने अपने जवाब मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 से 10 तक के वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता ने मूल्य अदा कर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता से खरीद की है एवं प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता दीपा पुत्र भलाजी से प्राप्त किया है एवं प्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता ने प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता खेतसिंहजी को सुपुर्द किया है। खेतसिंहजी उनके जीवनकाल तक उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त ररहे है। खेतसिंहजी की मृत्यु के पश्चात खेतसिंहजी के वारिसान प्रश्नगत कृषि भूमि पर काबिज काश्त रहे है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अलावा खेतसिंहजी के अन्य वारिसानों ने हकतर्कनामा अप्रार्थी संख्या 2 कल्याणसिंह के हक मे निष्पादित कर पंजीयन करवाया है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रश्नगत कृषि भूमि के वर्तमान मे खातेदार कृषक है एवं उस पर काबिज काश्त है। खेतसिंहजी द्वारा किसी प्रकार का कोई ईकरारनामा प्रार्थीगण के पिता के हक मे निष्पादित नही किया है। प्रश्नगत आराजी केवल विश्वास के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता खेतसिंहजी के नाम ट्रांसफर करवाने का कथन गलत है। तथाकथित ईकरारनामा अहम दस्तावेज होने का कथन गलत है प्रार्थीगण का प्रश्नगत आराजी से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। उक्त आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र प्रथम दृष्टयॉ काबिल खारीज है। प्रार्थीगण का यह वाद एवं आवेदन दिवानी न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है। राजस्व न्यायालय को पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार नही है। पंजिकृत विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार केवल दिवानी न्यायालय को है जिससे प्रार्थीगण का यह वाद व आवेदन माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य नही है। प्रश्नगत पंजीकृत विक्रय विलेख के विध्यमान रहते प्रार्थीगण का यह वाद एवं आवेदन माननीय न्यायालय म परिपोषणीय नही है। जिससे प्रार्थीगण के वाद एवं आवेदन को आदेश 7 नियम 10 सीपीसी के प्रावधान अनुसार रिर्टन किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण का वाद एवं आवेदन प्रस्तुती के समय या उससे पूर्व प्रश्नगत आराजी के किसी भी भाग पर कब्जा आधिपत्य नही है जिससे प्रार्थीगण का खातेदारी घोषण प्राप्ति का वाद विधि मे परिपोषणीय नही है एवं काबिल खारीज है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकार्डेड खातेदार कृषक है एवं बतौर खातेदार कृषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रश्नगत कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। खातेदार कृषक के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रावधान विधि मे नही है। एवं खातेदार कृषक के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्याय संगत नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता ने प्रश्नगत कृषि भूमि को करीब 35 वर्ष पूर्व पंजिकृत विक्रय विलेख से प्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता दीपा पुत्र भलाजी माललीं निवासी नून से खरीद की है एवं प्रश्नगत कृषि भूमि पर कब्जा धारण किया है जिससे प्रार्थीगण का यह वाद एवं आवेदन जाहिरा म्याद बाहर होने से काबिल खारीज के है। प्रार्थी का यह आवेदन आवश्यक पक्षकार के अभाव मे विधि मे परिपोषणीय नही है एवं काबिल खारीज के है क्योंकि दीपा पुत्र भलाजी माली के प्रार्थी संख्या 1 ता 3 के अलावा अन्य वारिसान मे उनकी पुत्रीया रतनी, रम्बा एवं लीलू है जिन्हे प्रार्थीगण ने आवेदन मे पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थीगण ने आवेदन मे अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को सर्वथा गलत रूप से पक्षकार बनाया है। प्रश्नगत कृषि भूमि मे अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 या उनके पिता सांकला का किसी प्रकार का

सहायक कलेक्टर

कोई हक हिस्सा कभी नही रहा है। प्रार्थीगण ने आवेदन मे सांकला या अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का कोई अभिवचन नही किया है जिससे अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है। प्रार्थीगण ने इस आवेदन मे मोती पुत्र भलाजी माली निवासी नून एवं हिमा पुत्र भलाजी माली निवासी नून के सभी वारिसानों को पक्षकार नही बनाया है। मोती पुत्र भलाजी के वारिसान मे अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के अलावा मोतीजी की तीन पुत्रीया कमशः रोमू,फालू,एवं कमी मौजूद है। जिन्हे प्रार्थीगण ने इस आवेदन मे पक्षकार नही बनाया है। इसी प्रकार हिमा पुत्र भलाजी माली के अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के अलावा उनकी चार पुत्रीयॉ मौजूद है,जो कमशः हंजा, फूली, लक्ष्मी एवं सोनी है जिन्हे प्रार्थीगण ने इस आवेदन मे पक्षकार नही बनाया है। जिससे प्रार्थीगण का यह आवेदन आवश्यक पक्षकारों के अभाव मे विधि मे परिपोषणीय नही होने से काबिल खारीज के है। प्रार्थीगण ने 2 भिन्न विक्रय विलेखों मे वर्णित भिन्न भिन्न क्रेता को सम्मिलित करते हुये यह एक ही वाद एवं आवेदन प्रस्तुत किया है जो विधि मे परिपोषणीय नही है एवं काबिल खारीज के है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से यह सर्वथा गलत वाद एवं आवेदन बदनियती पूर्वक प्रस्तुत किया है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण से विशेष हर्जा रूपये 30,000/—प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह आवेदन मय खर्चा खारीज करना फरमावें तथा अप्रार्थी संख्या एक व 2 को प्रार्थीगण से विशेष हर्जा रूपये 30,000/—दिलाये जाने के आदेश प्रदान करना फरमावें ।

विचारण आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर वकील प्रार्थीगण तथा वकील अप्रार्थीगण की अंतिम बहस इस न्यायालय मे दिनांक 30.12.2019 को रखी गई। बहस सुनी गई एवं उस पर मेरे द्वारा मनन किया गया। प्रकरण में सर्म्पूण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन व मनन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता उकाराम पुत्र दीपाजी जाति माली निवासी नून द्वारा दिनांक 23.12.1983 को दस्तावेज बहक खेतसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह , मोतीजी हेमाजी पि. भलाजी के पक्ष में विवादित आराजी नवीन खसरा नंबर 1185 व 933 पुराना खसरा नंबर 1001,782 का बेचाननाम लिखा जाकर दिनांक 24.12.1983 को पंजीयन करवाया जिसमें दोनो बेयनामा में कमशः 15000, 8000/— रूपये प्रतिफल में प्राप्त करना स्पष्ट रूप से अंकित है। इसी दिनांक को अर्थात 23.12.1983 को निष्पादित एक इकरारनामा की प्रति प्रस्तुत वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की जिसमें उक्त बेचाननामा बिना प्रतिफल प्राप्त किये निष्पादित करना बताया है एवं यह उल्लेख किया है कि बेचनार द्वारा मात्र अमानत के तौर पर उक्त भूमि क्रेतागण के नाम पंजीयन करवाया है। परन्तु उक्त दस्तावेज एक ही दिनांक को लिखे जाने से पंजीकृत दस्तावेज में उल्लेखित बिन्दुओं की वैधता इस न्यायालय के विचारण का विषय नहीं है। अतः चूंकि अप्रार्थीगण उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है जो जमाबंदी से स्पष्ट है। रिकार्डेड खातेदार होने से प्रथमदृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में होना जाहिर है। एवं सुविधा का संतुलन भी यह प्रार्थीगण अपने पक्ष में होना सिद्ध करने में असफल रहे है। यदि ऐसी स्थिति में यदि खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार के हितों पर विपरित प्रभाव पडने की पूर्ण संभावना है। चूंकि वाद के निस्तारण होने पर ही कब्जे एवं खातेदारों के हक हकूकों का निर्धारण तनकीवार विवेचन उपरांत संभव है। प्रार्थीगण द्वारा लगभग 35 वर्ष पश्चात इतनी लंबी समयावधि के पश्चात वाद संस्थित किया है जो विचारण में है एवं ऐसी स्थिति में मात्र अप्रमाणित इकरार नामें के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अतः प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2020.01.03 10:19:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: